न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 31 / 2019 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

1. छोटी देवी पत्नि हरकेश
2. लालूराम } पिसरान
3. जगदीश } सूज्या
4. पांची बाई पत्नि लडडूराम

} समस्त जाति मीना निवासी उगरपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. जयनारायण पुत्र उदा
2. चन्दी देवी पत्नि हरिनारायण
3. मुकेश
4. राकेश
5. नन्दलाल
6. लक्ष्मीनारायण

} पिसरान हरिनारायण

7. हेमराज
8. पुखराज

} नाबालिग जरिये संरक्षिका माता चन्दी देवी पत्नि हरिनारायण

} समस्त जाति मीना निवासी दयालपुरा हलकारा की ढाणी तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

9. राज. सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।
10 श्रीमति श्वेता यादव पीठासीन अधिकारी उप जिलाधीश रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा उनवानी जयनारायण बनाम छोटी देवी प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 जो उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के यहां विचाराधीन है, जिसमे आगामी तारीख पेशी 02.08.2019 नियत है)

उपस्थिति : श्री मुकुट बिहारी शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री विष्णु कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 लगा. 8 उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांक: 20.08.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जयनारायण वगैराह द्वारा प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 'ए' न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा में असत्य व बेबुनियाद तथ्यों पर पेश किया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा के यहां लम्बित है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत किया गया है तथा अपने जवाब में यह तथ्य अंकित किया है कि अप्रार्थीगण के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता है तथा तहसीलदार द्वारा भी पूर्व से रास्ता होना अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से मिलीभगत कर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने व रास्ता दिलाने पर आमादा हो रहे है तथा प्रार्थीगण ने जयनारायण वगैराह को पीठासीन अधिकारी से चैम्बर में मिलते जुलते देखा है तथा जयनारायण वगैराह एलानिया कहते है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है और वे रास्ता दिलाकर ही रहेंगे। यदि अप्रार्थीगण को रास्ता दे दिया जाता है तो प्रार्थी की भूमि खराब व बर्बाद हो जायेगी। इस प्रकार से प्रार्थीगण को उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा से न्याय की उम्मीद नहीं है।

अति० जिला कलेक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसलिये उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 'ए' उनवानी जयनारायण बनाम छोटी देवी को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 8 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी से साज कर रखा है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से उनके आवास पर मिलते जुलते देखा है और अप्रार्थीगण ने भी एलानिया कह रखा है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है। पीठासीन अधिकारी हमको भूमि में से रास्ता दिलावेंगे। अप्रार्थीगण के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी से मिलकर प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता देने को आमादा है, जबकि वैकल्पिक रास्ता न होने की सूरत में ही किसी खातेदार की भूमि में से रास्ता दिलाया जा सकता है, परन्तु कानून के प्रावधानों के विपरीत जाकर रास्ता दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई आशा नहीं है। अतः निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 'ए' उनवानी जयनारायण बनाम छोटी देवी को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 8 की ओर से निवेदन किया गया कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप कि अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से साज कर रखा है तथा अप्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से मिलीभगत कर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने व रास्ता दिलाने पर आमादा हो रहे हैं झूठे एवं मनगढन्त आरोप है। फिर भी यदि प्रार्थीगण उक्त प्रकरण को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहते है तो अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 8 को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। अतः हम प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' उनवानी जयनारायण बनाम छोटी देवी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान में स्थानान्तरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली आगामी दिनांक 03.09.2019 से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा एवं नांगल राजावतान को पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा